कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग टीकमगढ (म.प्र.)

दूरभाष/मोबाईल नंबर 8795040000 ई मेल– eerestikamgarh@mp.gov.in

क्रमांक 449/ई–निविदा/ग्रा.यां.से./2026 टीकमगढ, दिनांक 07/05/2026

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 02/2026–27

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से **Covers - 2 (दो लिफाफा पद्धति)** के आधार पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग टीकमगढ अंतर्गत निम्नांकित निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीयकृत ई–पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से दो लिफाफा पद्धति से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा संशोधित प्रपत्र एपेडिक्स 2.10 अनुसार अद्यतन संशोधन, निर्धारित तिथि (**Critical Dates**) अनुसार तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी एस.ओ.आर. दिनांक 11.04.2022 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) दर अनुसूची के आधार पर ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्रायांसे संभाग/ ज.पं.	टेण्डर आई. डी. नंवर	कार्य का नाम	कार्यो की संख्या	निविदा लागत (पी.ए.सी.) (रू. लाख में)	अमानत राशि (राशि रू. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (राशि रूपये में)	समया वधि (वर्षाकाल सहित)	ठेकेदार की पंजीयन श्रेणी	निविदा आमंत्रण का क्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	टीकमगढ टीकमगढ	2026_RES_505586_1	जी.एच.एस. शिशु मंदिर टीकमगढ में वास्केटवॉल खेल मैदान का निर्माण	01	4.11	8220	2000/-	02 माह	म.प्र.लो.नि.वि. में केन्द्रीयकृत पंजीयन	प्रथम
					4.11					

1– निविदा संबंधी तिथियॉ (Critical Dates) :-

Published Date	10/05/2026 10:30 AM	**Bid Opening Date**	28/05/2026 11:30 AM
Document Download / Sale Start Date	10/05/2026 10:30 AM	**Document Download / Sale End Date**	25/05/2026 05:30 PM
Clarification Start Date	NA	**Clarification End Date**	NA
Bid Submission Start Date	10/05/2026 10:30 AM	**Bid Submission End Date**	25/05/2026 05:30 PM

2— ऑन लाईन बिड जमा करते समय अपलोड किये जाने अनिवार्य दस्तावेजः—

Cover (लिफाफा) –A :-

(1) जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र या पंजीयन नवीनीकरण की रसीद।

(2) पोर्टल से आनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की ई—रिसिप्ट (स्वप्रमाणित प्रति)

(3) अमानत राशि केवल **ऑनलाईन (As per Tender website link Bank) ऑनलाईन के रूप में ही मान्य रहेगी।**

(4) शपथ पत्र राशि रूपये 200/— की मूल प्रति स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। (मय नोटरी) (प्रत्येक कार्य के लिये पृथक—पृथक शपथ—पत्र प्रोफार्म—बी) **(Annexure- B)**

(5) पेन कार्ड की प्रति।

(6) जीएसटी नंबर प्रमाण पत्र ।

(7) ठेकेदार/फर्म का विवरण Organization Details (Annexure H).

Cover (लिफाफा) – C :-

निविदाकार द्वारा निविदा दर जो कि ऑन लाईन ही प्रस्तुत करने होगी।

3— निविदाकार हेतु शर्तें :—

1. निविदा प्रपत्र 2.10 का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लेवें। समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें तथा अपनी बिड शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं है। किसी भी निविदाकार के चाहने पर निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. निविदाकार भली—भॉति उक्त कार्य हेतु जी—शेड्यूल का अवलोकन कर लेवें। जी—शेड्यूल में समाहित सभी कार्य करना अनिवार्य है। प्राक्कलन एवं ड्राईंग का अवलोकन **कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग टीकमगढ में कर लेवे।**
3. निविदा प्रपत्र वेबसाईट **https://mptenders.gov.in** पर ऑनलाईन भुगतान कर (टेंडर डाक्यूमेंट) क्रय किया जा सकता है।
4. प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन बिड जमा करते समय निविदा की कंडिका—2 में उल्लेखित दस्तावेज आवश्यक रूप से अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
5. निविदाकार को प्रत्येक निविदा के लिये निविदा की कंडिका 2 में उल्लेखित स्व प्रमाणित दस्तावेज ऑन लाईन अपलोड करने होगें।
6. निर्माण कार्य संबंधी अन्य विवरण **कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग टीकमगढ** के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है ।
7. वित्तीय प्रस्ताव किसी भी स्थिति में आर्फलाईन (हार्डकापी में) मान्य नहीं होगे । यदि वित्तीय प्रस्ताव मोहरबंद लिफाफे में या किसी भी प्रकार से ऑफलाईन दिया गया तो, वह बिड अमान्य कर दी जायेगी।
8. निविदाकार के द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज (निविदा शर्तो की कंडिका—2 अनुसार) सही पाये जाने पर ही वित्तीय आफर ऑन लाईन खोले जावेगे।

9. कटी–फटी अथवा ओव्हर राईटिंग की गई निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
10. निविदाकार निविदा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के पूर्व कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संपर्क कर, कार्य स्थल का ठीक प्रकार से निरीक्षण आवश्यक रूप से कर लेवे तथा निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री की उपलब्धता/ परिवहन के संबंध में भी भली–भॉति अवलोकन कर लेवे, जो निविदाकार के लिये श्रेयश्कर होगा ।
11. पूर्ण निविदा प्रस्ताव ऑनलाईन दिनांक एवं समय के अनुसार मान्य किये जावेगें।
12. निविदाकार पृथक–पृथक निविदा के साथ अमानत राशि **ऑनलाईन (As per Tender website link Bank) जमा ही मान्य** की जावेगी।
13. निविदाकार/फर्म द्वारा प्रत्येक कार्य के लिये पृथक–पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
14. यदि कोई ठेकेदार एक से अधिक फर्मो में पार्टनर अथवा प्रोप्राइटर हो तो ऐसी फर्मो द्वारा एक ही कार्य के लिये अलग–अलग निविदा प्रस्तुत नहीं की जावें। अन्यथा फर्मो द्वारा प्रस्तुत निविदायें निरस्त कर दी जावेगी।
15. निविदाकार किसी भी विभाग में ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा पाया जाता है तो, संबंधित निविदाकार/ठेकेदार की निविदा/अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।
16. अनुबंध के समय श्रम संविदा एक्ट के अतंर्गत जीवित लेबर लायसेन्स होना चाहिये। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। विवाद की स्थिति में ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
17. कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।
18. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/वनक्षेत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
19. आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड बैंक के लिखित (Instrument) मान्य नहीं किये जावेगे।
20. परफारमेंस गारंटी के रूप में शासन नियमानुसार 5 प्रतिशत राशि की एफ.डी.आर. (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर.) अनुबंध के पूर्व, जो **कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग टीकमगढ़ के पक्ष में देय हो, जमा करनी होगी।**
21. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत फर्म को एफ.डी.आर एवं अन्य शुल्कों में प्राप्त छूट मान्य नहीं की जावेगी। निविदा अनुसार बिन्दु 2 में उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर संबधित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
22. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्वि देय नही होगी।
23. निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह में निविदाकार को अनुबंध करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जावेगी। सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि संबंधित निविदाकार की एफडीआर राजसात कर, कार्य की पुनः निविदा आमंत्रण करें।
24. निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो स्वीकृत निविदा स्वतः निरस्त हो जावेगी तथा सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि निविदाकार द्वारा जमा राशि एफडीआर तथा परफारमेन्स सिक्योरिटी की राशि राजसात कर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावेगी।
25. निविदाकार को निविदा में उल्लेखित कार्य की समानुपातिक रूप से प्रगति देते हुये निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
26. निर्माण कार्यो में नर्मदा नदी की कोर्स सेण्ड अथवा मानक गुणवत्ता की रेत का ही उपयोग करना अनिवार्य होगा।

27. प्रत्येक देयक के भुगतान के साथ खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियमानुसार प्रत्येक देयक से उपयोग की गई सामग्री का रायल्टी कटौत्रा किया जावेगा। कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेज मे उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावे।

28. ठेकेदार को विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन एवं प्राक्कलन में किये गये प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य संपादित करना अनिवार्य होगा।

29. ठेकेदार को निर्माण से संबंधित हाईड्रोलिक डिजाईन, कार्य प्रारंभ के पूर्व सक्षम अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग टीकमगढ को प्रस्तुत कर अनुमोदन कराना होगा। तत्संबंध में शुल्क का वहन ठेकेदार को करना होगा।

30. निविदा से संबंधित अन्य जानकारी (ड्राईंग, डिजाईन एवं शर्ते) **कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग टीकमगढ** में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है ।

31. कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री की सुरक्षा/देखरेख की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

32. अनुबंधानुसार ठेकेदार से डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 2 वर्ष की अवधि में समय–समय पर संधारण कार्य कराया जावेगा अन्यथा की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात करते हुए, उस राशि से संधारण कार्य कराया जावेगा।

33. विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक 4162/22/वि–10/ग्रायांसे/ 2015 भोपाल दिनांक 24.07.2015 लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन निविदा प्रपत्र ऐपेंडिक्स 2.10 में बिड डाटा एवं कांन्ट्रक्ट डाटाशीट में किये गये संशोधन नियमों एवं म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 5056/22/वि–10/ग्रा.यां.से./17 दिनांक 30.10.2017 के माध्यम से जारी एसओआर दिनांक 01.11.2017 से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की निविदा प्रक्रिया में संशोधन लागू होगा।

34. निविदा प्रपत्र में निहित प्रावधान अनुसार ठेकेदार को कार्य हेतु दी गई समयावधि के एक चौथाई, आधे एवं तीन चौथाई भाग में निर्धारित माईल स्टोन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

35. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र. 4436/22/ वि–10/ग्रायांसेवा/भोपाल दिनांक 18.09.2017 अनुसार दिनांक 05.08.2017 से निर्माण कार्यो पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. लागू किया गया है, जो (18 प्रतिशत जीएसटी) पृथक से देय होगा तथा समस्त ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

36. जी.एस.टी. के संबंध में शासन द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में समय–समय पर नियत किये जाने वाले ''कर'' का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा संबंधित ठेकेदार के देयक से ''GST'' का नियमानुसार कटौत्रा/भुगतान किया जावेगा।

37. निविदाकार को वर्क प्रोग्राम प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र 2.10 के बिड डाटा शीट अनुसार निविदाकार द्वारा कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम प्रस्तुत नहीं करने पर 50,000/– प्रतिमाह, फील्ड लेबोटरी स्थापित नहीं करने पर 50,000/– रूपये प्रतिमाह एवं तकनीकी अमले को नहीं लगाने पर 25,000/– रूपये प्रतिमाह पेनाल्टी की कार्यवाही की जावेगी। वर्क प्रोग्राम के अनुसार अपेक्षित प्रगति नहीं देने पर ठेकेदार का अनुबंध विखण्डित कर, अमानत राशि (EMD) जप्त कर, अनुबंध अनुसार पेनाल्टी लगाते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की जावेगी, जिसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

38. यदि निविदाकार द्वारा समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो निविदा प्रपत्र ऐपेंडिक्स 2.10 की कंडिका 15 अनुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी।

39. निविदाकार द्वारा निविदा दर एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत से अधिक, कम आती है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी के निविदा प्रतिशत के अंतर की अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी की राशि का एफ.डी.आर. अनुबंध के पूर्व इस कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक है।

40. निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(देवानन्द शुक्ला)
कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग टीकमगढ़

पृ. क्रमांक/449/ई–निविदा/ग्रा.यां.से./2026 **टीकमगढ, दिनांक 07.05.2026**

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, जन संपर्क भवन, बाण गंगा रोड भोपाल की ओर नियमानुसार निविदा प्रकाशन हेतु प्रेषित।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सागर मंडल सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. कलेक्टर जिला टीकमगढ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग टीकमगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Devanand Shukla
Date: 2026.05.08 16:38:48 PDT
Location: Madhya Pradesh-MP